न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3406/2004/अलवर

1. प्रभु पुत्र परसादा
2. नारायण पुत्र छीतर
3. भूरी पत्नी प्रभु
4. घनश्याम पुत्र चौथा
5. बुद्धा पुत्र चौथा

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खोह तहसील राजगढ जिला अलवर

अपीलार्थी

बनाम

श्रीनारायण पुत्र मूला कौम ब्राहमण निवासी ग्राम खोह तहसील राजगढ जिला अलवर

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित
श्री अयूब खां अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जे.के.पंत अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

1. यह अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15–6–04 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के समक्ष प्रत्यर्थी वादी ने अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 188 के तहत वाद पत्र में अंकित

आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई और अपने निर्णय दिनांक 12–10–2000से वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील अधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–6–2004 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी विश्वेदारी की है जिस पर अपीलार्थी के स्व.पिता व दादा श्री छीतर व श्योप्रसाद उर्फ रामप्रसाद पुत्रान ओमकार समान भाग का कब्जा काश्त था और जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होते समय व आज तक बदस्तूर अपीलार्थीगण काबिज हैं जिन्हें कानूनन उक्त अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वादग्रस्त आराजी स्व.ओमकार के पुत्र व जायज वारिसान श्योप्रसाद उर्फ रामप्रसाद व छीतर मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2018 खातेदार दर्ज हैं। जिन दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। स्व.श्योप्रसाद का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा था जिसके स्थान पर उनका दत्तक पुत्र प्रभु काबिज है तथा स्व.छीतर का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा था जिस पर स्व.छीतर के जायज वारिसान अपीलार्थीगण काबिज हैं। वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी नहीं है। प्रत्यर्थी वादी ने साबिक बन्दोबस्त सम्बत 2020 में बन्दोबस्त अधिकारियों से मिलकर परचा खातेदारी अपने नाम करवा लिया। जमाबन्दी सम्बत 2018 के अनुसार बन्दोबस्त अधिकारियों को परचा बन्दोबस्त जारी करना चाहिये था। अपीलार्थीगण द्वारा अपने

कब्जे की ताईद में नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2015 से 2018, सम्बत 2018 से 2022 सम्बत 2030–2033 प्रस्तुत की हैं जिनमें उनका कब्जा काश्त दर्ज है। वादी दावा दायरी के दिन वादग्रस्त आराजी पर काबिज नहीं था इसलिये उसके द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं था। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1995 पेज 391,517,2019(1) आर आर टी पेज 131,268 की नजीरें पेश की।

5. जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी वादी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। राजस्व रेकार्ड में उनके नाम कोई प्रविष्टि गलत रूप से दर्ज हो, इस तथ्य को अपीलार्थी को सिद्ध करना पडेगा। उनके द्वारा ऐसा कुछ भी साबित नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण की पैतृक सम्पति हो इस बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष कोई कथन नहीं किया गया है। अब अपील के स्तर पर यह तर्क मान्य नहीं हो सकता। वादग्रस्त आराजी जिस ग्राम में स्थित है विश्वेदारी का ग्राम था। अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये विचारण न्यायालय ने वादी का वाद सही रूप से डिक्री किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सही रूप से पुष्टि की है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के मध्य खातेदारी घोषणा का दावा भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अपीलार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर निर्णय होना है। पत्रावली पर उपलब्ध

दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्बत 2020 व 2046–2065 व मिलान क्षेत्रफल के अनुसार प्रत्यर्थी वादी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार होना पाया जाता है। मौखिक साक्ष्य में कब्जा प्रत्यर्थी वादी का होना गवाहों ने कथन किया है। वाद अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत है। वादी का अभिलिखित खातेदार होना व कब्जा होना प्रमाणित होने से विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को सही रूप से डिक्री किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उसकी सही रूप से पुष्टि की है। इसलिये बिना किसी ठोस आधारों पर हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्यों में भिन्नता है।

10. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य